दिनांक 19.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा नवनियुक्त आरक्षियों के गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण एवं उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत कल्ली पश्चिम, लखनऊ स्थित पुलिस लाइन का किया गया निरीक्षण

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस में भर्ती हुये 60,244 आरक्षियों की जे0टी0सी0 (Joining Training Course) प्रारम्भ होने के दृष्टिगत आज दिनॉकः 19.06.2025 को कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन में बने भवन एवं परिसर का निरीक्षण करते हुये वहॉ की मूलभूत सुविधाओं, प्रशिक्षण कैम्प की बैरक, मेस, शैक्षणिक सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य आधारभूत संरचनाओ की गहन समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण हेतु आये प्रशिक्षुओं से वार्ता करके उनसे प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थाओं के बारे में फीड बैक प्राप्त किया गया । साथ ही प्रशिक्षुओं से उ0प्र0 पुलिस में उनके भर्ती होने के उद्देश्य के बारे में पूछा गया एवं प्रशिक्षुओं को मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में रिक्रूट आरक्षियों को सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुये पीएनओ आवंटन, वर्दी किट, बैंक एकाउन्ट खुलवाना, परिचय पत्र, मानव संपदा पर पंजीकरण आदि की कार्यवाही करायी जाये तथा निर्धारित कालांशों के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाय ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा निरीक्षण के दौरान कहा गया कि, **"उ0प्र0 पुलिस में भर्ती हुये समस्त प्रशिक्षु बहुत खुश व उत्साहित है अधिकतर लोग बहुत अधिक परिश्रम करके यहॉ तक पहुचे है, जिनके प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करके उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। उ0प्र0 पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे इन आरक्षियों को बेहतर सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे प्रशिक्षकों से बेहतर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा तथा पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से इनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाया जायेगा ।"**

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक भवन कल्याण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

दिनांक 19.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 30 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

"श्रावस्ती पुलिस को मिला अन्तर्राष्ट्रीय "पोलारिस अवॉर्ड 2025"

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही साइबर जागरूकता पहल के दृष्टिगत **पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण** के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तकनीक आधारित जन-जागरूकता अभियान निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।

उ0प्र0 पुलिस के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण है कि पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती श्री घनश्याम चौरसिया को कैपिटल मीडिया ग्रुप, लंदन द्वारा आयोजित **"पोलारिस लीडरशिप समिट 2025"** में **"सिल्वर पोलारिस अवॉर्ड"** से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान **"एंटी-डिसइन्फॉर्मेशन"** श्रेणी में श्रावस्ती पुलिस द्वारा चलाए गए जन-जागरूकता अभियान "Shrawasti's 2024 Deepfake Detection Campaign" हेतु प्रदान किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया यह पहला अवॉर्ड है, जो AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उ0प्र0 पुलिस की पहल को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का प्रतीक है।

पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के नेतृत्व में नोएडा स्थित संस्था **"नेतृत्वशाला"** एवं **"इंक्लूसिव एआई"** जैसे संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2024 में यह अभियान चलाया गया। यह देश का पहला जिला-स्तरीय डीपफेक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसके माध्यम से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, पुलिसकर्मियों तथा जनप्रतिनिधियों को को डीपफेक तकनीक की पहचान और सुरक्षा उपायों से अवगत कराया गया। श्रावस्ती पुलिस के द्वारा चलाए गए उक्त जन-जागरूकता अभियान के लिए कैपिटल मीडिया ग्रुप, लंदन द्वारा यह अवॉर्ड प्रदान किया गया है।

कैपिटल मीडिया ग्रुप, लंदन की मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री नाज़ली सेलिन ओज़कान द्वारा श्रावस्ती पुलिस को भेजे गए प्रशस्ति पत्र में उल्लिखित किया गया है कि—

"आपके नेतृत्व में एशिया के एक छोटे जिले ने वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम की है। आपने 'AI for Good' की अवधारणा को यथार्थ में बदला है।"

साथ ही उन्होंने यह भी कहा—

“डीपफेक के विरुद्ध आपका यह अग्रणी कार्य चुनावी पारदर्शिता के लिए एक वैश्विक मानक बन चुका है।”

यह अवॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि तकनीक के माध्यम से समाज में सुरक्षा, विश्वास और पारदर्शिता लाने की दिशा में उ0प्र0 पुलिस अग्रणी भूमिका निभा रही है।

POLARIS AWARDS 2025

CERTIFICATE
OF EXCELLENCE

PRESENTED TO

SHRI GHANSHYAM CHAURASIA, IPS
SUPERINTENDENT OF POLICE, SHRAWASTI

FOR EXEMPLARY LEADERSHIP IN THE *"SHRAWASTI'S 2024 DEEPFAKE DETECTION CAMPAIGN"*, AWARDED THE SILVER POLARIS AWARD IN THE ANTI-DISINFORMATION CATEGORY AT *THE POLARIS LEADERSHIP SUMMIT 2025, LONDON.*

YOUR PIONEERING WORK IN COMBATING DEEPFAKES HAS SET A GLOBAL STANDARD FOR ELECTORAL INTEGRITY

N. SELIN OZKAN
MANAGING DIRECTOR

POLARIS LEADERSHIP SUMMIT | KAPITAL MEDIA GROUP

DATE: JUNE 13, 2025
LONDON, UNITED KINGDOM

POLARIS AWARDS
Kapital

Kapital Media London Limited
WeWork, 3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
London, EC1N 2SW
United Kingdom
hi@kapitalmedia.co.uk

To
Shri Ghanshyam Chaurasia, IPS
Superintendent of Police
Shrawasti Police Department
Shrawasti, Uttar Pradesh, India

Subject: Congratulations on Polaris Award 2025

Dear Mr Ghanshyam Chaurasia, IPS,

On behalf of the Polaris Leadership Summit and Kapital Media Group, I am honored to congratulate you and the Shrawasti Police Department for being awarded the Silver Polaris Award in the Anti-Disinformation category for the "Shrawasti's 2024 Deepfake Detection Campaign" at our 2025 ceremony in London.

Your exceptional leadership in launching one of Asia's first district-level initiatives to combat deepfake technology has set a global standard for using AI for Good. In Shrawasti's challenging environment, your innovative campaign, executed with Netratvshaala and Inclusive AI, exemplifies dedication and vision.

This award celebrates your remarkable contribution to leveraging AI for societal benefit. We are privileged to honor you and look forward to your continued impact.

With highest regards,

Nazli Selin Ozkan
Deputy Managing Director
Kapital Media Group
nazliselin@kapitalmedia.uk

दिनांक 19.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–टेलीकॉम कम्पनी के अधिकारियों से सांठगांठ कर साइबर काइम करने वाले गिरोहों को फर्जी तरीके से सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले संगठित गिरोह के वांछित/पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 18–06–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वोडाफोन आइडिया कम्पनी के अधिकारियों से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से पीओएस एजेंट बनाकर उन पीओएस की आईडी का प्रयोग कर फर्जी तरीके से सिमकार्ड एक्टिवेट कर डिजिटल अरेस्ट, स्टाक मार्केट, पार्सल स्कैम, आदि तरीके से साइबर क्राइम करने वाले गिरोहों को उपलब्ध कराने वाले संगठित गिरोह के वांछित/पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों को जनपद–प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–संदीप पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय निवासी सुनियांवा घासी का पुरवा थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ शिक्षा– इंटरमीडिएट, उम्र 35 वर्ष। (**रू 25000 का पुरस्कार घोषित था**)

2–नौफील पुत्र हुसैन आरिफ निवासी किलहनापुर मलाका रजक पुर थाना हथिगवा जिला प्रतापगढ शिक्षा– इंटरमीडिएट, उम्र 34 वर्ष। (प्रो0 मार्शल मोबाइल लालगोपालगंज प्रयागराज)

बरामदगी–

1– 04 अदद मोबाइल फोन।

2– 36 अदद आधार कार्ड।

3– 239 अदद अनएक्टिवेटेड ब्लैंक सिम कार्ड।

4– 03 अदद एटीएम कार्ड।

5– 01 अदद डीएल।

6– 01 अदद निर्वाचन कार्ड।

7– 02 अदद पैन कार्ड।

8– 03 अदद बायोमैट्रिक स्कैनर।

9– रूपये 6620/ नकद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> स्थानः लालगोपालगंज थाना क्षेत्र नवाबगंज प्रयागराज, दिनांकः 18–06–2025 समयः 13:05 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को डिजिटल अरेस्ट, स्टाक मार्केट, पार्सल स्कैम, आदि तरीके से साइबर क्राइम करने वाले संगठित गिरोहों को अनाधिकृत तरीके से सिम कार्ड एक्टीवेट कर उपलब्ध कराने वाले पीओएस एजेन्टों एवं डिस्ट्रीब्यूटर के सम्बन्ध में लगातार शिकायते प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 टीम द्वारा दिनांकः 15–05–2025 को इस संगठित गिरोह के सरगना सहित 06 सदस्यों को राजापुर जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर संदीप पाण्डेय उपरोक्त का नाम प्रकाष में आया था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट द्वारा रू 25,000/ का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि संदीप पाण्डेय द्वारा नौफील के माध्यम से इन प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्डो को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 18–06–2025 को एसटीएफ व चित्रकूट पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को लालगोपालगंज थाना क्षेत्र नवाबगंज प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

दिनांक 15–05–2025 को गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ मे पता चला था कि अग्रहरि कम्युनिकेशन नाम से फर्म बनाकर वीआई कम्पनी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली गयी थी। वोडाफोन आइडिया कम्पनी में टीएसई (टेरीटरी सेल्स एक्जिक्यूटिव) व गिरोह के अन्य सदस्य मिलकर जो कस्टमर सिम लेने आते थे उनके नाम से दो सिमकार्ड एक्टिवेट कर उनका बायोमैट्रिक कराकर उनके नाम से फर्जी तरीके से पीओएस रजिस्टर्ड करा लेते थे। फिर उनको एक सिम दे देते थे व दूसरी सिम कार्ड जिससे

पीओएस रजिस्टर्ड किया जाता था अपने पास रख लेते थे। पीओएस की आईडी व रजिस्टर्ड सिम पर आये ओटीपी का प्रयोग कर गिरोह के सदस्य कस्टमर की दो सिम कार्ड डिजिटल केवाईसी के माध्यम से एक्टिवेट कर कस्टमर को एक सिम देते थे व एक अपने पास रख लेते थे। सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए इस गिरोह द्वारा फर्जी आधार कार्ड का भी प्रयोग किया जाता था। जब एक्टिवेटेड सिम कार्ड 200–300 की मात्रा मे एकत्र हो जाता था तो उसको गिरोह के सदस्य शिवदयाल व जितेन्द्र कुमार (टीएसई) वोडाफोन आइडिया/रिलायंसजियो कम्पनी, जनपद कौषाम्बी में संदीप पाण्डेय उपरोक्त को अनाधिकृत तरीके से ऊचे दाम पर बेच देते थे।

इसी क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त संदीप पाण्डेय ने बताया कि वह वर्ष–2017 मे अग्रवाल ट्रेडर्स लालगोपालगंज में नौकरी करता था। वहां पर वह मार्केट में आइडिया कम्पनी के रिचार्ज कूपन बेचने का काम करता था। वहॉ उसकी जान–पहचान मार्षल मोबाइल के प्रो0 नौफील से हो गयी। वर्ष– 2020 में उसने फाफामऊ की एक की–पैड मोबाइल बेचने वाली एजेंसी में नौकरी किया। इसी बीच उसकी मुलाकात शिवदयाल से हुई। षिवदयाल ने उसे बताया कि उसके पास 200–300 प्रीएक्टीवेटेड सिम कार्ड हैं। यदि किसी को चाहिए तो प्रतिसिम कार्ड रू 100 में उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद संदीप पाण्डेय ने नौफील से बात किया कि 200–300 प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड चाहिए तो प्रतिसिम कार्ड रू 150 में उपलब्ध करा सकता हूॅ। तो नौफील ने कहा कि ठीक है ले आओ। तब संदीप ने षिवदयाल से सम्पर्क कर वर्ष–2023 के शुरूआत में लगभग 200 सिम कार्ड मंगा लिया। संदीप पाण्डेय ने उपरोक्त सिमकार्ड नौफील को 150 रू में कैष लेकर दे दिया। एक दो महीने बाद नौफील ने फिर से प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड की डिमांड की तो संदीप पाण्डेय ने शिवदयाल से सम्पर्क कर सिम कार्ड लाकर नौफील को उपलब्ध करा दिया। इसके बाद यही क्रम बार–बार चलता रहा। उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ में नौफील उपरोक्त ने बताया कि सिहान शेख जो मेरे गांव के पास का है उसके पिता की लालगोपालगज में सोनू बुक डिपो नाम से दुकान है। वह उस समय ट्रेवेल्स का काम करता था। वर्ष–2022 में उसने मुझसे 100–200 प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड उपलब्ध कराने को बोला था। जब संदीप ने मुझे प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड उपलब्ध कराने

को बोला तो मैने सिहान से बात कर यह सिम कार्ड 250 रू प्रति सिमकार्ड की दर से सिहान शेख को कैश में बेच दिया था। इसके बाद कई बार सिहान ने मुझसे प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड लिया था। मैने सिहान से कई बार पूछा कि वह इन प्रीएक्टिवेटेड सिमकार्ड का क्या करता है तो उसने कुछ नही बताया था। सिहान शेख वर्तमान समय में मुम्बई में रह रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गिरोह द्वारा पिछले 02—03 वर्षों में लगभग 10,000 से अधिक सिम कार्ड अनाधिकृत तरीके से एक्टिवेट किये गये हैं। अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण शीघ्र कराया जायेगा।

उपरोक्त गैग के विरूद्ध थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2025 धारा— 34, 419, 420, 465, 467, 468, 471 भा0द0वि0 व 66सी, 66डी आईटी एक्ट मे दाखिल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर</u>

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 18.06.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—रितेश उर्फ किलर 2—हिमांशु उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रितेश उर्फ किलर के विरूद्ध जनपद

मऊ के थाना कोतवाली नगर पर हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त हिमांशु उर्फ विकास के विरूद्ध जनपद मऊ के थाना कोतवाली नगर पर हत्या आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रितेश उर्फ किलर निवासी मोहल्ला दक्षिणटोला महरनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2—हिमांशु उर्फ विकास निवासी मोहल्ला दक्षिणटोला महरनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

1—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना इन्चौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.06.2025 को थाना इन्चौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसूरी पुल के पास चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना इन्चौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्चौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ उर्फ सोनू निवासी अगवानपुर थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना घोसी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनाूकः 19.06.2025 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरामुहम्मदपुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी सुपा पाली नगरा जनपद बलिया।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 24 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक बरामद**

दिनांक 19.06.2025 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार ग्राम राजापुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—चन्द्रमणि 2—जोगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 24 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रमणि निवासी कुडुताई, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा।

2—जोगेन्द्र निवासी कुडुताई घाटीपाली, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 24 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक।

➢ जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—हरिवंश उर्फ भूरे 2—राजेन्द्र को धारा 302/149/307/147/148/323/504 भादवि व 25(1—बी) आर्म्स

एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्तगण 3—राम औतार 4—अनूप 5—मुन्ना 6—धर्मेन्द्र 7—सतीश 8—प्रदीप 9—राम गोपाल 10—मुकेश उर्फ विदुर 11—सतेन्द्र 12—रामकुमार को धारा 302/149/307/147/148/323/504 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55—55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना त्रिलोकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 02 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना त्रिलोकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 64(2)च/64(2)ट/351(3) बीएनएस व 5(ट)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार को आजीवन कठोर कारावास व 02 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 26 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307/323/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—तुफैल 2—इमरान को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 26 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—63 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर—63 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394/411

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आनन्द को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 31–31 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/325/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रविन्द 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 31–31 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद प्रतापगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस ने अभियुक्त गुलशन यादव पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवैध रूप से अपनी पत्नी के नाम पर अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 10 लाख रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————————